JAISALMER DAILY NEWS

www.jaisalmer.rajasthan.gov.in JaisalmerDistrict JaisalDistrict jaisalmerdistrict 26-05-2020, Tuesday

लू-तापघात से बचाव के लिए आमजन बरतें विशेष सावधानी

जैसलमेर , 26 मई/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी. के. बारूपाल ने वर्तमान में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए आमजन को लू-तापघात से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

उन्होंने बताया कि व्यक्ति के शरीर में लवण व पानी अपर्याप्त होने पर गर्म वातावरण में सिर का भारीपन व सिरदर्द, अधिक प्यास लगना, थकावट, जी मचलना, शरीर का तापमान बढ़ना, मुँह का लाल हो जाना व त्वचा का सूख जाना आदि लू-तापघात के प्रमुख लक्षण हैं।

उन्होंने बताया कि लू-तापघाात से बचाव के लिए आमजन को तेज गर्मी से बचने के लिए प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक छायादार स्थानों पर ही निवास करना चाहिए, तेज धूप में निकलना आवश्यक हो तो ताजा भोजन करके उचित मात्रा में ठंडे जल का सेवन करके ही बाहर निकलना चाहिए। दिन भर थोडे अन्तराल से ठंडे पानी एवं शीतल पेय पदार्थों छाछ, ताजे फलों के रस का सेवन अवश्य करते रहना चाहिए। तेज धूप में बाहर निकलने पर छाते का उपयोग करना चाहिए अथवा कपडे से सिर एवं बदन को ढंक कर बाहर जाना चाहिए।

डॉ. बारूपाल ने बताया कि लू-तापघात से ग्रसित होने पर तत्काल रोगी को छायादार ठंडे स्थान पर लिटा देना चाहिए, रोगी की त्वचा को गीले कपडे से स्पंज करते रहना चाहिए तथा रोगी के कपड़ों को ढीले कर देने चाहिएं। रोगी को पेय पदार्थों का सेवन कराना चाहिए और गर्मी से अत्यधिक प्रभावित होने पर रोगी को तत्काल चिकित्सा संस्थान पर उपचार के लिए ले जाना चाहिए।

उन्होंने आमजन से सजग रहकर लू-तापघात से बचाव के उपाय करने की अपील की है ताकि लू-तापघात से सुरक्षित रहा जा सके। उन्होंने बताया कि जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को लू-तापघात से ग्रसित रोगियों के ईलाज की समुचित व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

---000---

सरहदी जैसलमेर जिले में गांव - गांव पहुंच रही हैंमोबाईल ओपीडी सेवाएं, अब तक 161 गांवों के 4 हजार 507 मरीज लाभान्वित

जैसलमेर, 26 मई/कोरोना वायरस संक्रमण काल में ग्रामीण क्षेत्र में आम जन को चिकित्सा सुविधाएँ सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के. बारूपाल ने बताया कि जिले में 23 अप्रेल 2020 से अब तक मोबाईल ओपीडी सेवा अन्तर्गत कुल 161 गांवों में 4 हजार 507 मरीजों को आवश्यक उपचार, परामर्श एवं दवाईयाँ प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार मोबाईल ओपीडी सेवा अन्तर्गत 207 गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व सेवाएं प्रदान की गई।

उन्हाेंने बताया कि मंगलवार को जिले के नानणियाई, जैमला एवं मूलिया गांवों में चिकित्सा दलों द्वारा मोबाईल ओपीडी सेवा के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, हाईपरटेंशन, डायबिटीज, खाँसी जुकाम आदि के कुल 56 मरीजों को आवश्यक उपचार, परामर्श एवं दवाईयाँ प्रदान कर लाभान्वित किया गया। मोबाईल ओपीडी सेवा अन्तर्गत 4 गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व सेवाएं प्रदान की गई।

मंगलवार को उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) डॉ.आर.पी.गर्ग, जिला कार्यक्रम प्रबंधक , एनएचएम अजय सिंह कडवासराएवं जिला आशा समन्वयक देवराज द्वारा ग्राम मूलिया में आयोजित मोबाईल ओपीडी सेवा कैम्प का निरीक्षण कर चिकित्सा दल द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का जायजा लिया गया।

---000---

जैसलमेर - मंगलवार को 283 रिपोर्ट प्राप्त, सभी नेगेटिव,

मंगलवार को 161 सेम्पल लेकर जांच के लिए भिजवाए

जैसलमेर, 26 मई/ जैसलमेर जिले से पूर्व में भिजवाए गए सैंपल्स में 283 की रिपोर्ट मंगलवार को प्राप्त हुई। प्राप्त सभी 283 जनों की रिपोर्ट नेगेटिव आयी है। जिले से मंगलवार शाम तक कुल 161 जनों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.के. बारूपाल ने बताया कि आरंभ से लेकर अब तक जैसलमेर जिले में 5 हजार 033 सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए। इनमें 4 हजार 605 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें अब तक 68 पोजिटीव आए हैं तथा 4 हजार 537 जनों के सैंपल कोरोना जांच में नेगेटिव आए हैं।

---000---

ये स्थान हुए प्रतिषिद्ध क्षेत्र से मुक्त,

जैसलमेर वार्ड नम्बर 13, फलसूण्ड, खींया, भादासर व रामा

जैसलमेर, 26 मई/जिला मजिस्ट्रेट (जिला कलक्टर) नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्रों फलसूण्ड, खींया, भादासर एवं रामा में स्थिति सामान्य होने के कारण प्रतिषिद्ध क्षेत्र (प्रोहिबिटेड एरिया) घोषित किए जाने संबंधित आदेश प्रत्यहारित(रिवोक) कर लिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शेष निषेधाज्ञा संबंधी आदेश यथावत रहेंगे।

---000---

प्रतिषिद्ध क्षेत्र मोहनगढ़ में दी गई कुछ शिथिलताएं,

जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश

जैसलमेर, 26 मई/जिला मजिस्ट्रेट (जिला कलक्टर) नमित मेहता ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर हाई रिस्क जोन होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र(प्रोहिबिटेड एरिया) घोषित ग्राम मोहनगढ़ (ग्राम पंचायत मोहनगढ़), जिसमें मोहनगढ़ कस्बा भी शामिल है, में कुछ शिथिलताएं दी हैं।

आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं यथा किराणा, खाद्य सामग्री, दवाइयां, दूध, सब्जी, रसोई गैस, जनरल स्टोर की दुकानों, सरकारी बैंक, एटीएम के संचालन को कोविड -19 के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ (जैसे चेहरे पर मास्क एवं सामाजिक दूरी रखते हुए) प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक अनुमत किया गया है। इन सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है। इन आवश्यक सेवाओं के लिए आम जन का विचरण अनुज्ञेय होगा। इसके लिए भी पृथक से कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। जिले में पहले से जारी निषेधाज्ञा सम्पूर्ण जैसलमेर जिले की सीमा में प्रभावशील रहेगी।

---000---

जैसलमेर - जिला कलक्टर नमित मेहता ने विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की, योजनाओं और कार्यक्रमों में लक्ष्यप्राप्ति के लिए जुटने का किया आहवान

जैसलमेर, 26 मई/जिला कलक्टर नमित मेहता ने लोक समस्याओं और बुनियादी लोक सुविधाओं व सेवाओं से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के साथ ही सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों के जल्द से जल्द निस्तारण पर जोर दिया है और अधिकारियों से कहा है कि इस दिशा में गंभीर रहें और शिथिलता त्याग कर अपेक्षित उपलब्धि सामने लाएं।

जिला कलक्टर ने मंगलवार को जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए और चेतावनी दी कि आगामी बैठक से पूर्व इन मामलों में अच्छी प्रगति सामने आनी चाहिए।

बैठक में प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपने-अपने विभाग और कार्यक्षेत्र से संबंधित वांछित जानकारी दी।

जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश दिए और कहा कि इनका अच्छी तरह पालन सुनिश्चित करें और जिले में आधारभूत सुविधाओं व सेवाओं की उपलब्धता के साथ ही विभिन्न फ्लैगशिप और अन्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लक्ष्यों को पाने के लिए आनुपातिक लक्ष्यों का निर्धारण कर प्रयास करें।

पेयजल से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान करें

जिला कलक्टर ने ग्रीष्मकाल के मद्देनज़र जिले में पेयजल उपलब्धता को प्राथमिकता पर बताते हुए शहर एवं गांवों में निर्धारित पेयजल आपूर्ति में नियमितता लाने, पेयजल से संबंधित शिकायतों का तत्काल समाधान करने, हैण्डपंप मरम्मत, जल योजनाओं के लिए बिजली कनेक्शन शीघ्र करने, साप्ताहिक समीक्षा बैठक की सूचनाओं को निर्धारित फॉर्मेट में भिजवाने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने लोक स्वास्थ्य रक्षा से जुड़े कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने, अधिक संख्या में पानी के नमूने लेकर जांच कराने, पशुओं में टीकाकरण, लू तापघात से बचाव के लिए आईईसी करते हुए इससे संबंधित प्रबन्ध करने, पालनहार योजना को सामाजिक दायित्व मानकर अधिक से अधिक जरूरतमन्द बच्चों का भविष्य संवारने, शहर में रीडिंग कॉर्नर एवं हाई मॉस्क लाईट स्थापना के कामों को गति देने आदि के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने सभी महत्वपूर्ण विभागों की एक-एक गतिविधि की जानकारी ली और सभी योजनाओं व कार्यक्रमों में आशातीत उपलब्धियां सामने लाने के लिए बेहतर ढंग से काम करने पर बल दिया।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. विश्नोई ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त आयुक्त (उप निवेशन) दुर्गेश बिस्सा, नगर विकास न्यास के सचिव अनुराग भार्गव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, उप निवेशन उपायुक्त देवाराम सुथार, उपखण्ड अधिकारी दिनेश विश्नोई, सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) भारतभूषण गोयल, तहसीलदार विकास भाटी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

---000---

फोटो - जिला कलक्टर श्री नमित मेहता मंगलवार को जिलाधिकारियों की बैठक में दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए।

जैसलमेर - एडीएम ओपी विश्नोई ने अधिकारियों के साथ किया
शहरी पेयजल प्रबन्धन तंत्र का औचक निरीक्षण

जैसलमेर, 26 मई/अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. विश्नोई ने मंगलवार शाम जैसलमेर शहर में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागीय विभिन्न पेयजल स्रोतों का आकस्मिक निरीक्षण किया और इनकी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली।

इस दौरान जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियन्ता सुरेशचन्द जैन, नगर परिषद के सचिव जब्बरसिंह, सहायक अभियन्ता जे.पी. गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता देवीलाल आदि अधिकारी उनके साथ थे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर विश्नोई ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के गजरूप सागर स्थित फिल्टर प्लान्ट एवं पम्प हाउस को देखा तथा इसकी सम्पूर्ण क्रियाविधि व शहर में पेयजल वितरण से संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी ली। इनमें पानी के नमूने लिए जाकर लैब में जांच के लिए दिए गए।

इसी प्रकार पानी में क्लोरीनेशन की हाथों हाथ जांच कराई गई जिसमें सब कुछ निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सही पाया गया। जलदाय विभाग एवं नगर परिषद के अधिकारियों ने अतिरिक्त जिला कलक्टर को जैसलमेर शहर में पेयजल वितरण से संबंधित प्रणाली एवं गतिविधियों के बारे मे जानकारी दी।

---000---

जैसलमेर - होम क्वारंटीन निरीक्षण का दौर मंगलवार को भी रहा जारी

जैसलमेर, 26 मई/जिले के विभिन्न हिस्सों में अधिकारियों व कार्मिकों ने होम क्वारंटीन से संबंधित निरीक्षण किया और जानकारी ली। मोहनगढ़ तहसीलदार भैराराम ने ताड़ाना ग्राम पंचायत में होम क्वारंटीन किए गए लोगों के यहां पहुंच कर जांच की। वहां मंगलवार को क्वारंटीन अवधि पूर्ण होने पर होम क्वारंटीन से मुक्त किया गया।

---000---